राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: <u>प्रेस–नोट</u> :–

दिनांक : 21.07.2023

आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के सामान्य ज्ञान–ग्रुप 'ए' का पुनः आयोजन दिनांक 30.07.2023 को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं सामान्य ज्ञान–ग्रुप 'बी' का पुनः आयोजन दिनांक 30.07.2023 को दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक किया जा रहा है।

अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी दिनांक 23.07.2023 से SSO Portal पर लॉगिन कर प्राप्त कर लेवें। उक्त परीक्षा के प्रवेश–पत्र परीक्षा दिनांक से तीन दिवस पूर्व आयोग की वेबसाईट एवं SSO Portal पर अपलोड किये जायेंगे। अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयान्तर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवें।

परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

<u>अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।</u>

अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Admit Card लिंक पर जाकर आवेदन–पत्र क्रमांक (Application No.) व जन्म दिनांक से डाउनलोड कर लेवें। साथ ही अभ्यर्थी https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment portal लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। **अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर पहचान हेतु मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होवें।** मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।

परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना (COVID-19) के संबंध में जारी गाईडलाईन की पूर्णतः पालना करें।

चेतावनीः– आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिये रिश्वत की मांग करता है या किसी अन्य तरह का प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में आयोग को सूचित करें। इस संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव